राजस्थान में पंचायती राज में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

शोध पत्र-लोकप्रशासन

* नम्रता शर्मा

15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ क्या ? वास्तव में यह भारत के संपूर्ण लोगों की संपूर्ण आजादी का दिन था या यह केवल भारत की बाहरी राजतंत्रो व लोगो से आजादी थी। वास्तव में देखा जाए तो भारत की आधी आबादी अर्थात् महिलाएं जिन्हें वेदों में पूज्य माना गया है, का परिवार व समाज के लोगों द्वारा बाल्यावस्था में ही पारिवारिक बेड़ियों से बांध मान मर्यादा की आड़ में शोषण किया जाता था अगर किसी महिला द्वारा इन बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास भी किया जाता तो उन्हें घोर अपमानित कर समाज से बहि कृत कर दिया जाता था। वेदों में पूजनीय समझी जाने वाली इस देश की महिलाएं अभी भी अपनी आजादी के सपने संजोये बैठी थी। भारत में राजनीति में पुरूषो का ही आधिपत्य था,अपवाद स्वरूप सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, अरूणा आसफ अली, राजकुमारी अमृता कौर जैसी महिलाओं ने राजनीति में अपना सफल योगदान दिया किन्तु इनकी संख्या भारत में नगण्य ही रही। लोकतंत्र के विकास के साथ साथ लोगो की सोच में परिवर्तन होने लगा। पुरुष व महिलाओं की समानता की सोच बलवती हो उठी। दुनिया के अधिकांश संविधानों में पुरूषो व महिलाओं में समानता का प्रावधान किया गया।

संविधान में राजनीति को लेकर महिलाओं को न केवल पुरूषो के समान वोट देने का समान अधिकार दिया गया बल्कि चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया। परंतु भारत में राजनीति में महिलाओं की भूमिका का प्रथम सफल प्रयास सन् 1992 में 73वें संशोधन द्वारा किया गया। जिसके माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों में तीनो स्तरों जिला परिषद्, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार स्थान आरक्षित किए गए।

(अ) अनुसूचित जातियों / जनजातियों हेतु आरक्षण – प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार आरक्षित पदों की संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानो की कुल संख्या में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में उसी अनुपात में होंगे जिस मूल्यानुपात में उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों / जनजातियों की कुल संख्या का अनुपात है।[1] इस प्रकार आरक्षित स्थानों में से कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों व जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(ब) सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षण – अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिसमें अनुसूचित जातियों / जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे स्थानों का आवंटन किसी पंचायत में चक्रानुक्रम में किया जाएगा।[2]

(स) सभापति अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण – ग्राम तथा अन्य स्तर की पंचायतो के सभापति / अध्यक्ष के पदो की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। इस खण्ड में आरक्षित पदों की संख्या का आवंटन प्रत्येक स्तर की विभिन्न पंचायतों में चक्रानुक्रम में किया जाएगा।[3] इस प्रकार पंचायत राज में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किए गए जो संपूर्ण ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सुखद आश्चर्य की अनुभूति देता है। जिसके माध्यम से चार दीवारी व घूंघट में कैद महिलायें जो बरसों से अपनी आजादी के सपने संजोये बैठी थी।

पारिवारिक बेड़ियों को तोड़ एक आजाद देश की आजाद नागरिक बन राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकी उनके लिए यह आरक्षण **"रेगिस्तान रूपी जीवन में बारिश की बौछार" के समान था जिसके माध्यम से अब महिलायें राजनीति में भागीदार बन स्वयं के जीवन को सींचने लगी।** राजस्थान जहां 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की झांकी देखी गयी उक्त अधिनियम (73वें संशोधन) के अनुसरण में पंचायत राज अधिनियम 23 अप्रेल 1994 से लागू किए गए " इस अधिनियम को लागू करने के लिए पंचायत राज नियम, 1996 बनाए गए। इस संशोधन के पश्चात् राजस्थान में सर्वप्रथम 1995 में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का बिगुल बजाया गया। इससे पूर्व पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता सहवृत्त या सहवरण सदस्य के रूप में ही थी जो भी मात्र एक दिखावट के रूप में ही थी। इस चुनाव में 33566 महिलाएँ पंच, 3058 सरपंच, 2071 पंचायत समिति व जिला परिषद् की सदस्यों के रूप में निर्वाचित हुई वही 79 महिलाऐं प्रधान तथा 11 महिलाएँ जिला प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर निर्वाचित हुई।[5] इस प्रकार पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का घर की दहलीज व पर्दे से बाहर निकलकर सक्रिय राजनीति में सहभागी बनना इनके आत्मविश्वास को जागृत कर इनके अस्तित्व की सार्थकता पर बल देता है। इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान में पंचायत राज के अब तक आठ चुनाव सम्पन्न किए जा चुके है। जिसमें से पांच 1994 अधिनियम के पूर्व व तीन 1994 अधिनियम के पश्चात् इस संशोधन अधिनियम में हर 5 वर्ष पश्चात् चुनाव करवाने हेतु पृथक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। जिसके अनुसार वर्ष 1995 के पश्चात् वर्ष 2000 व 2005 में पंचायत चुनाव सम्पन्न करवाये गये व वर्ष

*शोध छात्रा, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर